

प्रश्न: — भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन करें ?

उत्तर: — प्रत्येक संविधान के प्रारम्भ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के मुख्य-लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्मात्यों के विचारों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है जिसे संविधान के क्रियान्वित तथा उसके पालन में संविधान के मूल भावनाओं का ध्यान रखा जा सके।

संविधान की मूल प्रस्तावना

हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, आगे-व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९५० ई० को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आधिपत्यमय और आत्मार्पित करते हैं।

५२ वें संविधानिक संशोधन के बाद प्रस्तावना

५२ वें संविधान संशोधन १९७६ के द्वारा भारतीय संविधान में कुछ और शब्दों तथा भावों को जोड़ा गया है। सब संशोधन की प्रस्तावना इस प्रकार है —

हम भारत के लोग, भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, आगे-व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बनाने के लिए संविधान को अंगीकृत, आधिपत्यमय और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना में व्यक्त किए

गए गांव सर्वप्रथम श्री नेहरू ने संविधानसभा के प्रथम
 अधिवेशन में ही 13 प्रस्ताव महात्मा गांधी के विचारों और
 भावनाओं पर आधारित था। पंडित नेहरू ने कहा था —
 मैं भारत के लिए ऐसा संविधान लाने का प्रयास करूंगा
 जो भारत की दास्ता और संरक्षण के संबंधों से मुक्त
 कर दे जो उसे स्वयं अधिकार दे। इस प्रकार हम देखते हैं
 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत दृढ़ता से संविधान
 निर्माताओं के मनीषाओं को व्यक्त करती है। इस प्रस्ताव
 की प्रक्रिया में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता जो
 30वीं सदी में राजनीति विज्ञान के प्रमुख मनीषी अर्नेस्ट
 बार्कर ने कहा है। बार्कर ने अपनी अंतिम रचना Principles
 of social and political theory में विषय सूची के बाद के
 सूच पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में
 लिखा है — “जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे यह
 लगता है कि उसमें इस पुस्तक का अधिकांश तर्क संक्षेप
 में वर्णित है अतः उसे उसी की माना जा सकता है।
 मैं उसे उद्धृत करने के लिए इस कारण और लाभायित हूँ
 तो फिर मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोग
 अपने स्वतंत्र जीवन का आरंभ राजनीतिक परम्परा के उन
 सिद्धांतों के साथ कर रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम के लोग
 पाश्चात्य कहकर पुकारते हैं परंतु जो अब पश्चात्य से
 पूरी अधिक है।”

प्रस्तावना के कुछ मूल तत्वों की विवेचना
 निम्न प्रकार से की जा सकती है —

(1) हम भारत के लोग (We are the people of India) —

प्रस्तावना में हम
 भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
 आत्मार्पित करते हैं। शब्दों का जो प्रयोग किया गया है,
 उसमें तीन बातें स्पष्ट होती हैं —

(1) संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुता भारतीय जनता के
 निहित की गई है।

(2) संविधान निर्माता भारतीय जनता ~~की इच्छा~~ है। तब
 ही तथा (3) भारतीय संविधान भारतीय जनता की
 इच्छा का परिणाम है पर भारतीय जनता ने भी इसे बाध
 की समर्पित किया है।

(2) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक

गणराज्य (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic)

संविधान की प्रस्तावना में एक

संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 नवम्बर 1950 ई० से भारत को आधिकारिक तौर पर संविधान (Domestic Status) प्राप्त हो गई है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या Switzerland की भांति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी शक्ति का आधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

(3) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय (Just Social, Economic and Political)

प्रस्तावना के अन्तर्गत इन शब्दों

के आधार पर संविधान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। यद्यपि हमारे संविधान के द्वारा प्रतिनिध्यात्मक शासन को अपनाया गया है जो व्यवहार के अन्तर्गत बहुमत वर्ग का ही शासन होता है लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में व्यक्ति की व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, सम्पत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और सामान्य रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। व्यवस्थापक मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण और लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध किया गया है।

(4) स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व

भारतीय संविधान के

अन्तर्गत न केवल न्याय वरन् इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता नागरात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या से नहीं वरन् ऐसी आकाशमक स्वतंत्रता से प्रेरित थे जिसके आधार पर साम्प्रदायिकता के व्याप्तिक के आधार पर विकास संभव होगा है। इस आधार पर उनके द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या को अपनाते हुए संविधान के अन्तर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साधन की व्यवस्था की गई है।

मूल्यांकन

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित प्रलेखों में सबसे ऊँच है। यह संविधान की कुँजी या संविधान का सबसे अधिक ऊँच अंग है।